

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जनपद इलाहाबाद

पत्रसं०- एफ०एफ०/ १७-१/ २०१८/ ९९०/ एफ०एच०आर०/ फतेहपुर/ / दिनांक-६३-२०१८

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट (आयुध अनुभाग),
फतेहपुर।

विषय:- मेसर्स अनुराधा देवी आयल लिमिटेड गाटा सं०-१५०२ ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर में नये रिटेल आउटलेट डीजल पम्प की सुविधा हेतु सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण एवं अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र सं०-मेमो०/२०-विविधि/आयुध
महोदय,

दिनांक- १७.०१.२०१८

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र के परिपालन में उप महाप्रबंधक हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कानपुर के पत्र सं०-रिटेल/इंजीनियरिंग/एसकेएस/४१५दि०-२८.१२.२०१७/१०.०१.२०१८ द्वारा गाटा सं०-१५०२ ग्राम असवार तारापुर परगना फतेहपुर तहसील व जिला फतेहपुर पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण एवं अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत महाप्रबंधक प्रबंधक श्रीमती अनुराधा देवी पत्नी विनोद कुमार के गाटा सं०-१५०२ ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जिला फतेहपुर में नये रिटेल आउटलेट/डीजल पम्प की सुविधा स्थापित किये जाने हेतु अग्नि शमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्नि शमन अधिकारी श्री उमा शंकर यादव फतेहपुर द्वारा किया गया आख्या दिनांक-१३.०२.२०१८ का सुसंगत मानकों के अनुसार मेरे द्वारा परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

०१. नये रिटेल आउटलेट ग्राम असवार तारापुर गाटा सं०-१५०२ परगना व तहसील व जिला फतेहपुर पर स्थित है। जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल १६००.०० वर्गमी० है।
०२. अग्नि शमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेट्रोलियम नियम के तहत स्थल उपर्युक्त है।
०३. फायर सर्विस के वाहन उपरोक्त स्थल तक सुगमता पूर्वक पहुँच सकते हैं।

अग्नि शमन व्यवस्थायें

०१. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर दो-दो अदद ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता ०९ कि०ग्रा० आई०एस०आई० मार्क के स्थापित किया जायेगा।
०२. आफिस रूम एवं सेल्स रूम में दो अदद सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता ४.५ कि०ग्रा० आई०एस०आई० मार्क के स्थापित किया जायेगा।
०३. स्टोर रूम में दो अदद ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता ०९ कि०ग्रा० आई०एस०आई० मार्क के स्थापित किया जायेगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
३१/०८/२०२०
SIDHANTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office
Hindustan Petroleum Corporation Limited

04. जनरेटर रूम एवं इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड के पास एक अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 कि0ग्रा0 एवं एक अदद ए0एफ0एफ0एफ0-50 लीटर के स्थापित किया जायेगा।
05. जनरेटर रूम के पास फायर बकेट 08 अदद मय स्टैण्ड के स्थापित किया जायेगा।
06. बालू रिजर्व स्टॉक 10 घन फीट व बेल्टा तथा फायर हूक मय हैण्डिल सहित 02 अदद स्थापित किया जायेगा।
07. पेट्रोलपम्प के फिलिंग प्वाइंट के आस पास स्पार्क करने वाली एवं नेकेट लाईट का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
08. धूम्रपान निषेध का बोर्ड मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित किया जायेगा।
09. फायर स्टेशन का फोन नं0- 101, 224235 तथा 9454418585, 9454418586 अंकित किया जायेगा।
10. रिटेल आउटलेट की तीन तरफ 06 फिट की दीवार उठाकर कंटिले तार लगाये जायेगे।
11. सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक फिटिंग एवं वायर आई0एस0-2148 के अनुसार लगाया जायेगा।
12. रिटेल आउटलेट पर कार्यरत कर्मचारियों को फायर फाईटिंग की ट्रेनिंग प्रत्येक दशा में दिलायी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मण्डलीय कार्यालय कानपुर द्वारा अनुराधा देवी आयल लिमिटेड गाटा सं0-1502 ग्राम असवार तारापुर परगना व तहसील व जनपद फतेहपुर पर सुविधा स्थापित किये जाने हेतु अग्नि शमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धित सभी प्राविधान OISD-225 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन ईकाई के निर्माणोपरान्त भवन/ईकाई का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन/ईकाई निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

आर0 एस0 मिश्रा
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
जनपद इलाहाबाद।

प्रतिलिपि:-

09. अग्नि शमन अधिकारी, फतेहपुर को सूचनार्थ।
10. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

Sidhu 27/08/2020
S. H. JAIN
Chief Executive Manager
Kanyar Petrol Regional Office
Indian Petroleum Corporation Limited

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
जनपद इलाहाबाद।